



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269672
CG-DL-E-30012026-269672

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 432]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 460(अ).— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबन्ध भारतीय स्टेट बैंक पर लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध 16 अक्तूबर, 2026 तक 'इंडियन डिजिटल पेमेंट इंस्टेलीजेंस कारपोरेशन' की चुकता पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक की राशि की उसकी शेयरधारिता से है।

[फा. सं. 7/9/2026-बीओए-1]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

S.O. 460(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act, shall not apply to the State Bank of India, in so far as they relate to its holding shares of an amount exceeding thirty per cent. of the paid-up capital of the 'Indian Digital Payment Intelligence Corporation' till the 16th October, 2026.

[F. No. 7/9/2026-BOA.I]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

का.आ. 461(अ).— बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा, यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के उपबंध बैंक आफ बड़ौदा पर लागू नहीं होंगे, जहां तक उनका संबंध 16 अक्तूबर, 2026 तक 'इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलीजेंस कारपोरेशन' की चुकता पूंजी के तीस प्रतिशत से अधिक की राशि की उसकी शेयरधारिता से है।

[फा. सं. 7/9/2026-बीओए-1]

शालिनी पंडित, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

S.O. 461(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sub-section (2) of section 19 of the said Act, shall not apply to the Bank of Baroda, in so far as they relate to its holding shares of an amount exceeding thirty per cent. of the paid-up capital of the 'Indian Digital Payment Intelligence Corporation' till the 16th October, 2026.

[F. No. 7/9/2026-BOA.I]

SHALINI PANDIT, Jt. Secy.